न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : डॉ सत्यवीर यादव RAS

अपील संख्या :– 11/2017

1. रामचन्द्र पुत्र गणपत जाति अहीर निवासी, ढाणी मान्यावाली तन भौनावास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0

अपीलान्ट

बनाम

1. नायब तहसीलदार उप तहसील पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.14 बाबत नामान्तरण संख्या 1952 ग्राम खेलना तहसील कोटपूतली द्वारा नायब तहसीलदार पावटा।

निर्णय

दिनांक 12.9.19

नायब तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश 24.12.2014 बाबत नामान्तरण सं. 1952 ग्राम खेलना के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील निम्नन भांति पेश की है जिसके बिन्दुवार तथ्य निम्नन प्रकार है।

1. यह कि आराजी खसरा नम्बर 881/2762/059, 882/2763/0.63, 889/1.61, 890/0.22 , 891/2764/0.16 कुल किता 5 रकबा 3.21 वाके मौजा खेलना तहसील कोटपूतली के 6/48 हिस्से के खातेदार काश्तकार मन्नी देवी पत्नि रामेश्वर, रामसिंह, प्रहलाद, महेश, अशोक पुत्रान रामेश्वर, प्रेम देवी पुत्री रामेश्वर समस्त जाति खारवाल निवासी पावटा थे जिन्होने अपरोक्त आराजी को जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र से दिनांक 18.08.12 को अपीलान्ट को बेचान कर दिया था। मुताबिक विक्रय पत्र प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष मे नामान्तरण संख्या 1952 दर्ज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 नायब तहसीलदार ने दिनांक 24.11.14 को स्वीकार कर लिया था तद उपरान्त अपीलान्ट को बिना सूचित किये रेस्पोडेंट सं. 1 नायब तहसीलदार ने इस आदेश के साथ उपरोक्त नामान्तरण खारिज कर दिया मान्य न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन आराजी हाल ख.नं. 889, 890, 891/2764 वाके मौजा खेलना बाबत अपील सं. 7/2014 विचाराधीन है। जिसमे रिकार्ड की यथा स्थिति के आदेश पारित कर रखे है। इसलिए नामान्तरण अपास्त कर दिया। इसके उपरान्त श्रीमान के समक्ष विचाराधीन अपील 7/2014 खारिज होने के पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 1952 को द्वारा आदेश नायब तहसीलदार पावटा को बहाल किये जाने हेतु आवेदन किया परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 23.03.17 को अपीलान्ट को सूचित किया कि नामान्तरण निरस्त होने के उपरान्त उसकी अपील कर अनुतोश प्राप्त करे। जिस पर प्रार्थी /अपीलान्ट बिना देरी किये नामान्तरण की नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24.12.14 विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह कि अधिनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 24.12.14 के द्वारा अपीलान्ट के हित मे तस्दीक किये गये नामान्तरण 1952 ग्राम खेलना को बिना अपीलान्ट को सुने तथा सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बिना खारिज करने की भारी भूल की है।

4. यह कि श्रीमान के समक्ष विचाराधीन अपील सं. 7/2019 निस्तारण के पश्चात नायब तहसीलदार पावटा को अपीलान्ट/प्रार्थी के ह कमे किये गये नामान्तरण सं. 1952 ग्राम खेलना को स्वीकार किया जाना चाहिए था परन्तु उक्त नामान्तरण को स्वीकार करने के बजाय श्रीमान के समक्ष अपील करने हेतु निर्देश पारित किये है।

5. यह है कि नायब तहसीलदार पावटा द्वारा पारित आदेश 23.03.17 के पश्चात प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा मय दफा 5 मियाद अधिनियम अपील प्रस्तुत की है जो अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

6. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने तैय करने का अधिकार श्रीमान को हासिल है। अतःअपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.12.14 बाबत नामान्तरण सं. 1952 ग्राम खेलना तहसील कोटपूतली द्वारा नायब तहसीलदार पावटा को खारिज कर नामान्तरण संख्या 1952 ग्राम खेलना बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

7. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता ली गई, रिपोर्ट समात पाई जाने पर रेस्पोडेंट की तलवी हेतु नियमानुसार सम्मन नोटिस जारी किये गये बाद तामील सम्मन नोटिस सलग्न पत्रावली किये गये।

8. उप तहसीलदार पावटा से इस न्यायालय के पत्रांक 41/27.04.17, 9227/15.11.18 प्रकरण मे किसी दीगर न्यायालय मे प्रकरण विचाराधीन हो तो इसकी रिपोर्ट मंगवाने के लिए आदेश जारी किये गये। जिसकी रिपोर्ट उप तहसीलदार पावटा उनके पत्रांक राजस्व/2019/59 दिनांक 25.01.19 के द्वारा भिजवाई गई जिसे सलग्न पत्रावली किया गया।

9. बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई बह समे कथन है कि उपरोक्त आराजी जरिये विक्रय पत्र से प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष मे नामान्तरण संख्या 1952 वाके मौजा खेलना दर्ज कर रेस्पोडेट संख्या 1 नायब तहसीलदार पावटा ने स्वीकार कर लिया था तद उपरान्त अपीलान्ट को बिना सूचित किये रेस्पोडेंट संख्या 1 नायब तहसीलदार ने इस आदेश के साथ उक्त नामान्तरण खारिज कर दिया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 889, 890, 891/2764 वाके मौजा खेलना अपील नम्बर 7/2014 श्रीमान न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली मे विचाराधीन है जिसमे रिकार्ड की यथा स्थिति के आदेश पारित किये है। इस प्रकार उक्त नामान्तरण को नायब तहसीलदार पावटा ने दिनांक 24.12.14 को खारिज फरमाया है। रेस्पोडेंट संख्या 1 नायब तहसीलदार पावटा द्वारा उक्त नामान्तरण को खारिज करने के उपरान्त अपीलान्ट/प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष विचाराधीन स्थगन प्रा.पत्र 7/2014 मनोज बनाम तहसीलदार दिनांक 27.07.16 को खारिज होने बाबत नायब तहसीलदार पावटा को निवेदन कर उक्त नामान्तरण संख्या 1952 को बहाल करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया, तद उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट को दिनांक 23.03.17 को सूचित किया कि उक्त नामान्तरण निरस्त की अपील सक्षम न्यायालय मे पेश कर अनुसोष प्राप्त करे। उक्त आदेश फरमाये जाने पर उक्त नामान्तरण की नकल की नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील पेश की है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि वर्तमान मे श्रीमान न्यायालय के यहां अपील नम्बर 7/2014 मनोज बनाम तहसीलदार स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.16 को खारिज हो चुका है तथा राजस्व मण्डल अजमेर मे अपील मु.सं. 1232/2014 बंशी बनाम मनोहर खारिज हो चुकी है। अन्य किसी दीगर न्यायालय मे उक्त नामान्तरण बाबत

6

कही भी स्थगन आदेश नही है इसलिए उक्त नामान्तरण सख्या 1952 वाके मौजा खेलना को बहाल किया जावे।

10. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से बहस मे कथन किया है कि उक्त नामान्तरण 1952 वाके ग्राम खेलना दिनांक 25.11.14 को स्वीकार करते समय श्रीमान न्यायालय के प्रकरण संख्या 7/2014 दिनांक 26.03.14 स्थगन बाबत जानकारी नही हो पाई इसलिए तत समय मे उक्त नामान्तरण को खारिज किया गया।

11. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात साक्ष्य एवं सबूत का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि नामान्तरण संख्या 1952 वाकेग्राम खेलना तहसील कोटपूतली द्वारा उप तहसीलदार पावटा दिनांक 25.11.14 विक्रय पत्र का नामान्तरण भरा जाकर स्वीकार हुआ है। इसके उपरान्त दिनांक 24.12.14 को रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 ने उक्त नामान्तरण को यह अंकन करते हुए खारिज कर दिया कि विवादित खसरा नम्बर 889, 890, 891/2764 वाके ग्राम खेलना पर न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के अपील प्रकरण 7/2014 दिनांक 26.03.14 के द्वारा स्थगन आदेश पारित कर विवादित आराजी को किसी दीगर को रहन बेचान या हस्तान्तरण नही करे रिकार्ड को यथा स्थिति कायम रखने के आदेश है। उक्त आदेशों की जानकारी दिनांक 25.11.14 को नही हो पाई इसलिए उक्त नामान्तरण खारिज किया जाता है। वकील अपीलान्ट का प्रस्तुत बहस मे कथन है कि मान्य न्यायालय अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां विचारधीन प्रकरण संख्या 7/2014 ब उनवान मनोज बनाम तहसीलदार मे स्थगन आदेश 27.07.16 को खारिज हो चुका है तथा अन्य किसी दीगर न्यायालय मे उक्त विवादित खसरा नम्बरान बाबत कोई स्थगन आदेश आदि नही है। इसलिए उक्त नामान्तरण 1952 वाकेग्राम खेलना तहसील कोटपूतली को बहाल किया जावे। नायब तहसीलदार पावटा के द्वारा उनके पत्रांक राजस्व/2019/59 दिनांक 25.01.19 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम खेलना के नामान्तरण संख्या 1952 की जमाबंदी सम्वत 2070-73 मे तहसीलदार कोटपूतली के आदेश क्रमांक 2016/2830 दिनांक26.08.16 के द्वारा स्थगन आदेश खारिज किया गया है एवं उप पंजीयक कार्यालय के स्थगन रजिस्टर मे आराजी खसरा नम्बर 881/2762, 882/2763, 889, 890, 891/2764 मे मनोज बनाम तहसीलदार वंशी बनाम मिश्री देवी का स्थगन दर्ज है। चूकि इस न्यायालय से प्रकरण संख्या 7/2014 ब उनवान मनोज बनाम तहसीलदार खारिज हो चुका है। खसरा नम्बर 889, 890, 891/2764 वाके मौजा खेलना पर स्थगन आदेश आदि नही है। यदि किसी दीगर न्यायालय से स्थगन आदेश आदि नही हो तो नामान्तरण सं. 1952 वाकेग्राम खेलना तहसील कोटपूतली बहाल रखे जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

12. यह निर्णय आज दिनांक 12.9.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)